10/A

राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 115/16

तारीख रजू– 04/02/16

1– राजू 2– गिर्राज 3– रामेश्वर समस्त पिसरान गोर्वधन जाति मीना निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर

बनाम

–अपीलार्थी

सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर

——— रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय

दिनांक–. 11/02/2017

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 389 मे पारित निर्णय दिनांक 03/09/15 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम उदेई खुर्द के खसरा नं0 5934 रकबा 1.51 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। वकील अपीलान्ट उप0 एवं रेस्पोडेन्टस की और से पेरोकार सरकार उपस्थित।सुलह समझौते के तहत उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि ग्राम उदेई खुर्द में स्थित खं0नं0 5934 के कुछ भाग पर अपीलार्थी का कब्जा बाड़ा बहुत पूर्व में चला आ रहा है। अपीलार्थी एक गरीब मजदूर पेशा है। अपीलार्थी उक्त वाद–आराजीयात के छोटे से टुकडें पर निवास करता है एवं शेष रकबे पर कृषि कर परिवार का पालन–पोषण करता है।यदि वर्तमान में अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थी को पुनः बाड़ा व अपने परिवार के निवास हेतु पाटोर बनाने में काफी समस्या उत्पन्न हो जायेगी, साथ ही अपीलार्थी से उसका व उसके परिवार का पालन–पोषण का संसाधन छीन जावेगा, साथ ही विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस तर्के दिया कि उक्त चरागाह भूमि हमारी खातेदारी मे करने का श्रम के साथ ही उक्त चरागाह भूमि की एवज में उतना रकबा ही हमारी खातेदारी भूमि में से कम कर दे।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा अतिक्रमी द्वारा वाद आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर उक्त निर्णय सुनाया गया है। अतिक्रमी का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चावर्ती अतिक्रमण होने की जांच होने पर ही अतिक्रमी को सिवील कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/09/15 यथावत रखा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

11/9

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की सुनवाई सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि उक्त वाद आरजीयात पर अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद –आराजीयात का नियमन करने व उतनी ही भूमि उसकी खातेदारी में से कम करने हेतु निवेदन किया है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का काफी पूर्व से कब्जा है एवं अपीलार्थी एवं उसका परिवार उक्त वाद आरजीयात पर कृषि कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपीलार्थी के पास उक्त वाद–आराजीयात के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके,साथ ही अपीलार्थी उक्त वाद आराजीयात की एवज में अपनी खातेदारी भूमि में से उतना ही रकबा चरागाह हेतु आरक्षित करने हेतु अपनी अभिशंषा भी व्यक्त की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/09/15 निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद आराजीयात प्रार्थी के हक में नियमन करने हेतु व उतनी ही भूमि प्रार्थी की खातेदारी में से कम कर चरागाह में दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार करवाकर नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्याम मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर